न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 180/2025 बउनवानी जगराम सैनी **बनाम** तहसीलदार मलारना डूँगर
पुत्र श्री रामलाल सैनी निवासी हीरापुरा ढाणी तहसील मलारना डूँगर

GCMS No-2025/350

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	[illegible]
26.11.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 8.9.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 6.6.2025 को आपके पास भेजी गयी प्रार्थना पत्र पर की गयी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति**" तहसीलदार मलारना डूँगर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः सूचना अधि./2025/1252 दिनांक 26.11.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 8.9.2025 मे चाही गयी सूचना (प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 6.6.2025 पर की गयर कार्यवाही) तहसीलदार मलारना डूँगर के पत्रांक 1251 दिनांक 26.11.2025 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 8.9.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना तहसीलदार मलारना डूँगर के पत्रांक 1251 दिनांक 26.11.2025 से अपीलान्ट को व्यक्तिगत उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	